Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 41-2018/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च, 2018
(18 फाल्गुन, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 13/ह०अ० 25/2008/धा० 92/2018, दिनांक 9 मार्च, 2018 –पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2018.	207–214
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 14/ह०अ० 25/2008/धा० 92/2018, दिनांक 9 मार्च, 2018 –हरियाणा पुलिस (अराजपत्रित तथा अन्य पद) सेवा (संशोधन) नियम, 2018.	215–216
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग –III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 मार्च, 2018

संख्या का०आ०–13/ह०अ० 25/2008/धा०92/2018– हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25), की धारा 92 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं ।
2. पंजाब पुलिस नियम, 1934 में, नियम 12.16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"12.16 सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया ;–

(1) रिक्तियों की प्रतिशतताः–

सिपाही के रैंक में सभी तथा उप–निरीक्षक के रैंक में कुल पदों की पचास प्रतिशत (50%) (स्थाई तथा अस्थाई दोनों) रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरी जाएगीः

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में से तीन प्रतिशत रिक्तियां उत्कृष्ट खिलाड़ियों से भरी जाएंगी :–

(क) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक या अधिक तकनीकी विशेषज्ञ जैसे कि सेवारत या सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी (जो पुलिस उप अधीक्षक की पद्वी से नीचे के न हों), मनोवैज्ञानिक, चिकित्सकों, विषय विशेषज्ञों इत्यादि, को, समय–समय पर, अपनी सहायता के लिए सहयोजित कर सकता हैं। ये विशेषज्ञ अपने–अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होंगे;

(ख) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सम्पूर्ण चयन प्रकिया के प्रबन्धन के लिए कम्प्यूटर आधारित प्रबन्धन सूचना प्रणाली जारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने, प्रकिया करने, तथा परिणाम तैयार करना इत्यादि शामिल हैं।

(2) मांगः–

जब कभी सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की पर्याप्त संख्या हो, तो राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजेगा ।

(3) सार्वजनिक अधिसूचना :–

पुलिस महानिदेशक से मांग पत्र की प्राप्ति पर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग राज्य के कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी तथा दूसरा अग्रेंजी में होगा, आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से कम से कम पन्द्रह दिन पहले रिक्तियां अधिसूचित करेगा । विज्ञापन में रिक्तियों का विवरण, आवेदन का ढंग तथा पात्रता शर्तें इत्यादि होंगी । अन्य ब्यौरे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वैबसाईट पर डाले जाएंगे ।

(4) आवेदनः–

(क) यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं, लम्बित है उसे आवेदन हेतु योग्य नहीं माना जायेगा, यदि उसके विरुद्ध आरोप लगा दिये गये हो।

(ख) आवेदन विहित फीस के साथ ऑनलाईन प्राप्त किये जाएंगे । उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई सूचना अन्तिम होगी ।

(ग) पात्र उम्मीदवारों को रोल नम्बर आबंटित किए जाएंगे तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वैबसाईट पर डाल दिए जाएंगे । एक बार रोल नम्बर आबंटित होने पर, उम्मीदवार चयन प्रकिया में भाग लेने के लिए समर्थ हो जाएगा।

(5) ज्ञान परीक्षा (80 प्रतिशत वेटेज):-

ज्ञान परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(क) सभी उम्मीदवारों को अस्सी अंको की ज्ञान परीक्षा देनी होंगी। जिसमें वस्तुनिष्ट किस्म, बहुवैकल्पिक प्रश्न शामिल होंगे।

(ख) ज्ञान परीक्षा में वस्तुनिष्ठ किस्म के सौ (100) बहुवैकल्पिक प्रश्न होगे तथा प्रत्येक प्रश्न 0..80 अंक का होगा और अधिकतम अवधि नब्बे (90) मिनट होगी। **जबकि प्रत्येक सही उत्तर 0.8 अंक का होगा और गलत उत्तर के लिए कोई नेगिटिव मार्किंग नहीं होगी।** यह सभी उम्मीदवारों हेतु एक साथ आयोजित की जाएगी। परीक्षा का माध्यम जहां, उम्मीदवारों का अग्रेजी भाषा का ज्ञान परीक्षित किया जाना है, को छोड़कर हिन्दी में होगा।

(ग) परीक्षा पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामयिक मामले, सामान्य तर्क, अभिरूचि, संख्यात्मक योग्यता, कृषि, पशुपालन, अन्य सम्बन्धित क्षेत्र/ट्रेड, इत्यादि पर आधारित प्रश्न होंगे। कम्प्यूटर के बेसिक ज्ञान से सम्बन्धित कम से कम दस प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्तर सिपाही पद के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10+2 परीक्षा और उप निरीक्षक के पद हेतु मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास शिक्षित व्यक्ति की अनुमानित योग्यता जैसा होगा।

(घ) प्रश्न पत्र अत्यंत गोपनीयता के साथ तैयार और मुद्रित करवाया जाएगा। प्रश्न पत्र की समरूप सेट की एक से अधिक भिन्न–भिन्न श्रृखला होंगी और नकल रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में दो निकटवर्ती उम्मीदवारों के पास किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पेपरों की समरूप श्रृंखला नहीं होगी। ऑप्टिकल मार्क रिकोगनिशन स्केनिंग हेतु उत्तर पुस्तिका डिजाइन की जाएगी। दोहरी उत्तर पुस्तिका हेतु कार्बनहीन पेपर उपयोग किया जाएगा। उम्मीदवार ज्ञान परीक्षा समाप्त होने के बाद उसकी डुप्लीकेट प्रति साथ ले जा सकेंगे। विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में सीलबन्द प्रश्न पेपरों तथा ऑप्टिकल मार्क रिकोगनिशन सीट की वितरण प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्णीत की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रतिरूपण रोकने के लिए ऑप्टिकल मार्क रिकोगनिशन सीट पर उसके अंगूठे का चिह्न अंकित करना भी अनिवार्य होगा।

(ङ.) ज्ञान परीक्षा की समाप्ति पर शीघ्र अति शीघ्र, प्रत्येक परीक्षा केन्द्र से संग्रहण की गई उत्तर पुस्तिकाओं को सीलबन्द लिफाफे में रखा जाएंगा। ये लिफाफे बॉक्सों में रखे जाएंगे तथा दोबारा सीलबन्द किए जाएंगे और मूल्यांकन केन्द्र (केन्द्रों) पर पहुंचाए जाएंगे।

(च) उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद, शीघ्र ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वैबसाइट पर सार्वजनिक की जाएंगी।

(छ) मूल्यांकन केन्द्र पर, उत्तर पुस्तिकाओं वाले बॅक्से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा खोले जाएंगे। ऑप्टिकल मार्क रिकोगनिशन उत्तर पुस्तिकांए स्केन की जायेगी और परीक्षा परिणाम डाटा बेस में सुरक्षित रखा जाएगा।

(6) शारीरिक जाँच परीक्षा (पी0 एस0 टी0) :–

(क) प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों की संख्या के सात गुणा के बराबर उम्मीदवार, अर्हक की गई ज्ञान परीक्षा के रूप में घोषित किये जाएंगे।

(ख) उम्मीदवारों, जिन्होंने ज्ञान परीक्षा अर्हक कर ली हो, को उनकी शारीरिक उपयुक्तता तथा सहनशीलता को जाँचने के लिए शारीरिक जांच परीक्षा देनी होगी जो केवल अर्हक स्वरूप की होगी। इस परीक्षा के लिए विहित मानक नीचे दिए अनुसार होंगे;–

क्रम. संख्या	**उम्मीदवार**	**टेस्ट दूरी**	**अर्हक समय**
1.	पुरूष	2.5 किलोमीटर	12 मिनट
2.	महिला	1.0 किलोमीटर	6 मिनट
3.	भूतपूर्व सैनिक	1.0 किलोमीटर	5 मिनट

टिप्पणी:– आर. एफ. आई. डी. (रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान यन्त्र) या किसी अन्य उत्तम तथा विश्वसनीय प्रौद्योगिकी का उपयोग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर इस परीक्षा की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

(ग) इस परीक्षा से गुजरने के लिए अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता की जिम्मेवारी उम्मीदवार की होगी ।

(घ) उम्मीदवार, जो शारीरिक जांच परीक्षा के लिए विहित मानकों को पूरा करने में असफल रहते हैं, को आगे की चयन प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा ।

(ङ) शारीरिक जांच परीक्षा का परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग उसे अपनी कार्यालय वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा।

(च) उम्मीदवार, जो शारीरिक जाँच परीक्षा के लिए विहित मानकों को अर्हक करते हैं, आगे की चयन प्रकिया में भाग लेंगे ।

(7) शारीरिक नाप परीक्षा (पी0एम0टी0):–

(क) वे उम्मीदवार, जिन्होंने शारीरिक जाँच परीक्षा अर्हक की है, को हरियाणा पुलिस (अराजपत्रित तथा अन्य पद) सेवा नियम, 2017 के परिशिष्ट ख में विहित मानकों के अनुसार शारीरिक नाप परीक्षा से गुजरना होगा।

(ख) शारीरिक नाप परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया करने में टेम्पर प्रूफ, उचित और निष्पक्ष मानक डिजिटल मापतोल यन्त्रों का उपयोग सम्भव सीमा तक किया जाएगा ताकि उम्मीदवार डिजिटल डिसप्ले मानीटर पर उनके नाप को पढ़ने में सक्षम हों।

(ग) शारीरिक नाप परीक्षा का परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार किया जायेगा । भर्ती हेतु हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसे अपनी कार्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा।

(घ) उम्मीदवारों, जो शारीरिक नाप परीक्षा के लिए विहित मानकों को पूरा करने में असफल रहते हैं, को आगे की चयन प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा ।

(ड.) उम्मीदवार, जो शारीरिक नाप परीक्षा के लिए विहित मानकों को अर्हक करते हैं, आगे की चयन प्रक्रिया में भाग लेंगे ।

(8) अतिरिक्त योग्यता (10 प्रतिशत वेटेज):–

(क) सभी उम्मीदवारों, जिन्होने शारीरिक नाप परीक्षा अर्हक कर ली हो, को दस्तावेजों की जांच पडताल के लिए बुलाया जाएगा। सभी अन्य उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया से बाहर समझा जाएगा।

(ख) (i) **सिपाहियों के लिए** :– शिक्षा (अधिकतम 07 अंक): उच्च शिक्षा वाले उम्मीदवार अर्थात् किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में स्नातक की उपाधि के लिए चार (04) अंक दिये जायेंगें, जबकि किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि वाले उम्मीदवार को तीन (03) अंक अतिरिक्त दिये जाएंगे।

(ii) **उप निरीक्षक के लिए**:– शिक्षा (अधिकतम 07 अंक): उच्च शिक्षा वाले उम्मीदावारों को अर्थात् किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि, कम्प्यूटर इर्जीनियरिंग/साईस, विधि आयुर्विज्ञान, विधि विज्ञान, पुलिस विज्ञान तथा अपराध विज्ञान में स्नातक, जिसमें विशेष उपाधि प्राप्त करने के लिए 10+2 के बाद चार (04) या उससे अधिक वर्ष लगते हैं), के लिए 04 (चार) अंक दिये जाएंगे और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त वर्णित किसी संकाय में स्नातकोतर उपाधि वाले उम्मीदवारों को 03 (तीन) अंक अतिरिक्त दियें जाएंगे;

परन्तु उपरोक्त वर्णित संकायों से भिन्न किसी अन्य संकाय में स्नातकोतर की उपाधि रखने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। तथापि, उम्मीदवारों, जो उपरोक्त वर्णित संकायों से भिन्न संकायों में अपनी स्नातकोतर से उच्चतर उपाधि अर्थात् एम.फिल या पी.एच.डी. रखते हैं, को 03 (तीन) अंक अतिरिक्त दिये जाएंगे।

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण–पत्र (अधिकतम 03 अंक)– ए, बी या सी स्तर का राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण–पत्र रखने वाले उम्मीदवार को क्रमशः 01, 02 तथा 03 अंक प्रदान किए जाएंगे।

(9) विविध (10 प्रतिशत वेटेज):–

(क) (i) यदि आवेदक के पिता, माता, पति–पत्नी, भाई, बहनों, बेटों और बेटियों में से कोई भी व्यक्ति, हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग या प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं हैं, तो पांच (05) अंक दिए जाएंगे।

(ii) **अनाथ/विधवा की दशा में पांच (05) अंक दिए जाएंगे :–**

(क) यदि आवेदक विधवा है; या

(ख) यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु बयालीस वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो; या

(ग) यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और आवेदक के पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई हो।

(iii) आवेदक को पांच (05) अंक दिये जाएंगे, यदि वह ऐसी अनअधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति और टापरीवास जाति) या हरियाणा की घुंमतू जनजाति सें संबन्धित हैं, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग से है।

(iv) तदर्थ या संविदा कर्मचारी के रूप में अनुभव के लिए अधिकतम **(08)** अंक रखे गये हैं:–यदि आवदेक हरियाणा सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग या प्राधिकरण में समान या उच्चतर पद पर, अधिकतम **16 वर्ष** में से के प्रत्येक वर्ष या छह मास से अधिक के उसके भाग के अनुभव के लिए आधा (=0.5) अंक दिया जाएगा। छह मास से कम की किसी अवधि के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा:

परन्तु किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिती में दस, अंकों से अधिक अंक नहीं दिये जायेंगे।

(ख) आरक्षण लाभ तथा किसी भी प्रकार की छूट इत्यादि, यदि कोई हो, के दावे, केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य होंगे जो दावों के समर्थन में जांच के लिए अपेक्षित वैध मूल प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे।

ऐसा न करने पर, वे सामान्य प्रवर्ग में ही विचारे जाऐंगे बशर्ते वे अन्यथा पात्र हैं। इस सम्बन्ध में सूचना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वैबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी।

(10) परीक्षा परिणाम :–

(क) पृथक रूप से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के बराबर उम्मीदवारों द्वारा (ज्ञान परीक्षा +**अतिरिक्त योग्यता+ विविध**) में प्राप्त योग अंकों के आधार पर मैरिट के क्रम में सफल उम्मीदवारों के नाम क्रमबद्ध किये जाएंगे ।

(ख) यदि जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के योग अंक बराबर हैं, तो योग्यता का क्रम ज्ञान परीक्षा में प्राप्त किए गए उच्चतर अंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(ग) जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के योग अंक के साथ–साथ ज्ञान परीक्षा में अंक भी बराबर हैं, तो योग्यता का क्रम आयु द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा अर्थात् आयु में छोटे से आयु में बडे को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।

(घ) आगे जहां दो या अधिक उम्मीदवारों के योग अंक के साथ–साथ ज्ञान परीक्षा में अंक भी बराबर हैं तथा जन्म तिथि भी समान हैं, तो योग्यताक्रम उनकी उच्चतर शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार के पक्ष में होगा।

(ड.) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नामांकन के लिए पुलिस महानिदेशक को पृथक रूप से प्रत्येक प्रवर्ग में अपेक्षित मांग पत्र की रिक्तियों की कुल संख्या के बराबर सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगा। इस प्रकार सिफारिस की गई उम्मीदवारों की सूची हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा पुलिस की कार्यालय वैबसाइटों पर भी डाली जाएगी।

(च) नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति से पूर्व चिकित्सा स्वस्थता और चरित्र सत्यापन और पूर्ववृत्त सुनिश्चित करेगा। विज्ञापित रिक्तियां, यदि कोई हों, चिकित्सा आधारों या चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन या अन्यथा के कारण उम्मीदवारों की अस्वीकृति के कारण भरी जानी शेष रह जाती हैं, तो अगली भर्ती में भरी जाएंगी।

(11) विशेष भर्ती :–

भर्ती की उपरोक्त प्रक्रिया हरियाणा सरकार की अनुग्रहपूर्वक स्कीम, यदि कोई हैं, के अधीन सिपाहियों के रूप में मृतक पुलिस कर्मियों के बच्चों की नियुक्ति हेतु लागू नहीं होगी। हरियाणा पुलिस की विशेषाकृत विंग अर्थात् दूर–संचार विंग, हरियाणा पुलिस कमान्डों बल, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बैंड तथा विगुलवादक अमला, घुड़सवार पुलिस, कुत्ता दस्ता, साईबर सैल तथा विशेष योग्यता या अनुभव सहित तथा अन्य विशेषीकृत विंगों में जो सरकार द्वारा स्वीकृत हैं या भविष्य में सृजित/स्वीकृत किये जाएं, सिपाहियों की भर्ती पर भी लागू नहीं होगी। इन विशेषीकृत विंगों हेतु प्रक्रिया ऐसी होगी जो पुलिस महानिदेशक की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की जाएगी ।

डॉ० एस० एस० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग, चण्डीगढ़।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 9th March, 2018

No. S.O. 13/H.A. 25/2008/S. 92/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with sub-section (1) of section 92 of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Police Rules, 1934, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Police (Haryana Amendment) Rules, 2018.

2. In the Punjab Police Rules, 1934 for rule 12.16, the following rule shall be substituted, namely:-

"12.16 Procedure for direct recruitment;-

(1) Percentage of vacancies:-

All vacancies in the rank of Constable and fifty percent (50%) of the total posts (both temporary and permanent) in the rank of Sub Inspector shall be filled up by direct recruitment through Haryana Staff Selection Commission:

Provided that three percent (3%) vacancies out of the vacancies to be filled up by direct recruitment shall be filled up from outstanding sportspersons.

(a) The Haryana Staff Selection Commission may co-opt one or more technical experts such as serving or retired police officer (not below the rank of Deputy Superintendent of Police) psychologists, doctors, subject matter experts etc. from time to time, to assist them. These experts shall be persons of repute in their respective fields having minimum 10 years' experience.

(b) The Haryana Staff Selection Commission shall be responsible for maintaining a computer-based Management Information System for managing the entire selection process including, inter alia, receiving the on-line applications, processing, and preparing the result etc.

(2) Requisition:-

Whenever there are sufficient number of vacancies for direct recruitment, the Director General of Police shall after the approval of the State Government, send the requisition to the Haryana Staff Selection Commission.

(3) Public notification:-

On receipt of requisition from the Director General of Police, the Haryana Staff Selection Commission shall notify the vacancies atleast fifteen days (15) prior to the last date for submission of applications in atleast two (2) prominent daily newspapers in the State one of which shall be in Hindi and other in English. The advertisement shall give detail of vacancies, mode of application and the eligibility conditions etc. The other details shall be posted on the official websites of Haryana Staff Selection Commission.

(4) Applications:-

(a) If an F.I.R. is lodged/is pending against a candidate, he shall not be treated eligible for application, if charges are framed against him.

(b) Applications with prescribed fee shall be received online. The information submitted online by the candidates shall be final.

(c) Roll number shall be allotted to the eligible candidates and put on the official website of the Haryana Staff Selection Commission. Once the roll numbers are allotted, the candidate shall be able to generate to join the process of selection.

(5) Knowledge Test (80% weightage):-

The detailed procedure of Knowledge Test shall be as follows:

(a) All candidates shall have to undergo a knowledge Test of eighty (80) marks comprising of objective type, multiple choice questions.

(b) The Knowledge Test shall be of objective type having hundred (100) multiple choice questions of 0.80 marks each and of ninety (90) minutes duration. While each correct answer will get 0.8 marks, there will be no negative marking for wrong answers. It shall be held simultaneously for all candidates. The medium of examination shall be Hindi except where the knowledge of English language of the candidates is to be tested.

(c) The test paper shall include questions on General studies, General Science, Current affairs, General Reasoning, Mental Aptitude, Numerical ability, Agriculture, Animal husbandry, other relevant fields/trades etc. There shall be at least ten (10) questions relating to basic knowledge of computer. The standard of questions shall be as expected of an educated person having passed 10+2 examination of Board of School Education, Haryana for the post of Constable and have graduated from a recognized University for the post of Sub-Inspector.

(d) The question paper shall be prepared and got printed with utmost secrecy. There shall be more than one different series of same set of question paper and no two adjacent candidates in the examination hall shall have the same series of question papers to avoid copying. The answer sheets shall be designed for Optical Mark Recognition (OMR). Scanning Carbonless paper shall be used for duplicate answer sheets. The candidates shall carry the duplicate copy with them after the knowledge Test is over. The process of distribution of sealed question papers and Optical Mark Recognition sheets to various examination centers shall be decided by the Haryana Staff Selection Commission. The candidate shall also affix his/her thumb impression on the Optical Mark Recognition (OMR) sheet to avoid impersonation.

(e) As soon as Knowledge Test is over, the answer sheets collected from each examination centre shall be put in sealed covers. These covers shall be put in boxes, and again sealed and carried over to the evaluation centre(s).

(f) The answer key shall be made public on the official website of the Haryana Staff Selection Commission after the knowledge test expeditiously.

(g) At the evaluation centre, the boxes containing answer sheets shall be opened by the Haryana Staff Selection Commission. The Optical Mark Recognition answer sheets shall be scanned and the result be saved in the database.

(6) Physical Screening Test (PST):-

(a) Candidates, equalling seven (07) times the number of vacancies in each category shall be declared to have qualified the Knowledge Test (KT).

(b) The candidates who have qualified in Knowledge Test shall be put to a Physical Screening Test which would be only qualifying in nature to judge their physical fitness and endurance. The standards prescribed for this test shall be as under:-

Candidates	Test distance	Qualifying Time
1. Male	2.5 Kilometer	12 minutes
2. Female	1.0 Kilometer	6 minutes
3. Ex.-serviceman	1.0 Kilometer	5 minutes

Note: - RFID (Radio Frequency Identification Device) or any other superior and reliable technology shall be used to ensure reliability of this test at the discretion of the Haryana Staff Selection Commission.

(c) The responsibility of having the requisite medical fitness to undergo this test shall rest upon the candidate.

(d) The candidates who fail to meet the standards prescribed for Physical Screening Test shall stand eliminated from further selection process.

(e) The result of Physical Screening Test shall be prepared by the Haryana Staff Selection Commission. The Haryana Staff Selection Commission shall display the same on its official website.

(f) Only the candidates who qualify the standards prescribed for Physical Screening Test shall be allowed to take part in the further process of selection.

(7) Physical Measurement Test (PMT):-

(a) The candidates who have qualified the Physical Screening Test shall have to undergo Physical Measurement Test as per standards prescribed in Appendix-B of Haryana Police (Non-Gazetted and Other Ranks) Service Rules, 2017.

(b) To make the entire process of the Physical Measurement Test tamper proof, fair and impartial, standard digital measurement devices shall be used to the extent possible, in a manner that the candidates are able to read their measurements on a digital display monitor.

(c) The result of Physical Measurement Test shall be prepared by the Haryana Staff Selection Commission.

The Haryana Staff Selection Commission shall display the same on its official website.

(d) The candidates who fail to meet the standards prescribed for Physical Measurement Test shall stand eliminated from further selection process.

(e) Only the candidates who qualify the standards prescribed for Physical Measurement Test shall take part in the further process of selection.

(8) Additional qualification: (10% weightage):-

(a) All candidates who have qualified the Physical Measurement Test shall be called for scrutiny of documents. All other candidates shall stand eliminated from further process of selection;

(b) (i) **For Constable-** Education (maximum 07 marks): Candidates with higher education i.e. with Graduate degree in any stream from a recognized university shall get four (04) marks, while candidates with Post Graduate degree in any stream from a recognized university shall get additional three (03) marks;

(ii) **For Sub-Inspector-** Education (maximum 07 marks): 04 Marks for the candidate with higher education i.e. a Graduation degree in Law, Computer Engineering/Science, Forensic Medicine, Forensic Science, Police Science and Criminology (which-take 04 or more years after 10+2 to get a specialized degree) issued from a recognized university and additional three (03) marks for a Post Graduate degree in any of the aforementioned streams issued from a recognized university.

Candidates with a Post Graduate degree in any stream other than the ones mentioned above shall get no extra marks. However, the candidates having a degree over and above their Post Graduation e.g. M. Phil or Ph. D in streams other than the ones mentioned above will get additional three (03) marks.

(c) NCC certificate (maximum 03 marks): Candidates having NCC certificate of A, B or C level shall get 01, 02 and 03 marks respectively (for both Constables and Sub Inspector).

(9) Miscellaneous (10% weightage):-

(a) (i) **Five (05) marks** will be given if no person from amongst the applicant's father, mother, spouse, brother, sister, son and daughter is/was/has been a regular employee in any Department, Board, Corporation, Company, Statutory Body, Commission or Authority of Haryana Government or any other State Government or Government of India.

(ii) **Five (05) marks** will be, in case of Orphan/Widow:-

(i) If the applicant is a widow; or

(ii) If the applicant is a 1st or 2nd ward of the deceased whose father died before completion of 42 years of age.

(iii) If the applicant is a 1st or 2nd ward and his/her father had died before his/ her completing 15 years of age.

(iii) **Five (05) marks** will be given, if the applicant belongs to such a denotified tribe (Vimukt Jatis and Tapriwas Jatis) or Nomadic tribe of Haryana which is neither a Scheduled Caste nor a Backward Class.

(iv) Maximum of **Eight (08) marks**have been kept for experience as an adhoc or contract employee. One-half (=0.5) mark for each year or part thereof exceeding six months of experience, out of a maximum of **16 years**, on the same or a higher post in any Department, Board, Corporation, Company, Statutory Body, Commission, Authority of Government of Haryana. No marks will be awarded for any period less than six months:

Provided that no applicant will be given more than ten marks under any circumstances.

(b) Claim of reservation benefit and/or relaxation etc., if any, shall be admissible to those candidates only, who submit the requisite valid original certificate for scrutiny alongwith their application in support of their claim failing which, they will be considered under general category provided they are otherwise eligible. Information in this regard will be displayed on official website of the Haryana Staff Selection Commission.

(10) Result of Examination:-

(a) The names of successful candidates in the order of merit on the basis of aggregate marks achieved by the candidates in (Knowledge Test + **Additional qualification+ Miscellaneous)** shall be arranged by

the Haryana Staff Selection Commission equal to the total number of vacancies advertised for each category separately.

(b) In case two or more candidates have the same aggregate score, the order of merit shall be determined by the higher score achieved in the Knowledge Test.

(c) Whereas two or more candidates have the same aggregate score as well as the same score in Knowledge Test also, the order of merit shall be guided by the age of the candidate, i.e. the oldest being placed higher than the younger ones.

(d) Further where two or more candidates have the same aggregate score as well as the same score in Knowledge Test and their date of birth is also same, the order of merit shall be in favour of the candidate having higher educational qualification.

(e) The Haryana Staff Selection Commission shall recommend the names of successful candidates equal to the total number of vacancies requisitioned in each category, separately to the Director General of Police for enrolment. The list of candidates so recommended shall also be put on the official websites of Haryana Staff Selection Commission and Haryana Police.

(f) The appointing authorities shall ensure medical fitness and verification of characters and antecedents before appointment. Vacancies advertised, if any, remaining unfilled because of rejection of candidates on medical grounds or character and antecedents verification or otherwise shall be considered in next recruitment.

(11) Special Recruitments:-

The above procedure of recruitment shall not apply to the appointment of the children of deceased police officials as constables under the ex-gratia scheme, if any of the Haryana Government. It shall also not apply to the recruitment of Constables in specialized wings of Haryana Police viz; Telecommunication wing, the Haryana Police Commando Force, the State Crime Record Bureau, the Band and Buglers Staff, the Mounted Police, Dog squad, Cyber Cell and officials with special qualifications or experience and to other specialized wings which are sanctioned or may be created / sanctioned by the Government in future.

The procedure for these specialized wings shall be such as approved by the State Government on the recommendation of Director General of Police from time to time."

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Depatment.

56090—L.R.—H.G.P., Chd.